न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 213/18 (वाद)

1. श्रीमती चुन्नीबाई पुत्री मेगा पत्नी हेमा डांगी निवासी सोनलाई (खरवडों का गुडा) हाल आवलिया का कुंआ तह. मावली।

...........वादीयां

बनाम्

1. श्री दोला पिता रामा डांगी निवासी निवासी सोनलाई (खरवडों का गुडा) तह. मावली।
2. श्री रामा पिता उदा डांगी निवासी निवासी सोनलाई (खरवडों का गुडा) तह. मावली।
3. श्रीमती दाई बाई पुत्री मेगा पत्नी भूरा डांगी निवासी निवासी सोनलाई (खरवडों का गुडा) हाल मजेरा तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
4. श्रीमती हरकुबाई पुत्री मेगा पत्नी डालु डांगी निवासी निवासी सोनलाई (खरवडों का गुडा) हाल घासा तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री उदयलाल डांगी, अधिवक्ता वादीयां।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 08.01.2020

1. वादीयां द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीयां एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिनका सजरा निम्न प्रकार है :–

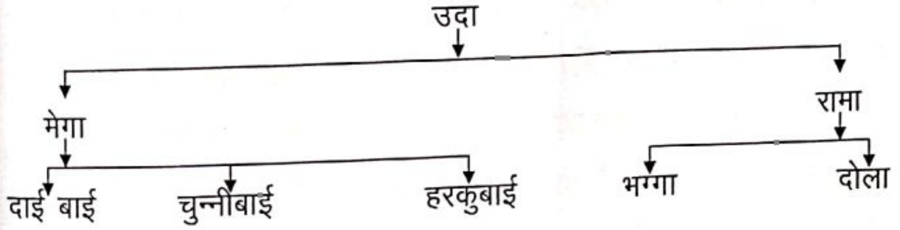

उक्त सजरे के अनुसार मूल पूरूष उदा जी डांगी थे जिनका स्वर्गवास हो गया हैं। उदा जी के दो पुत्र मेगा व रामा हुए, जिनमें मेगा जी का स्वर्गवास हो गया है मेगा जी के तीन पुत्रियां हुई जो क्रमशः वादियां श्रीमती चुन्नीबाई एवं प्रतिवादी सं. 3 दाईबाई, प्रतिवादी सं. 4 हरकुबाई हैं। रामा के दो पुत्र भगा व दोला हुए जिसमें भग्गा लाऔलाद फौत हो गया हैं।

2. यह कि मौजा माणक्यावास पटवार हल्का मांगथला में आराजी सं. 1782 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 1783 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 1785 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 1786 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 1787 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 1788 रकबा 1 बीघा,

Akshay
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

आराजी नम्बर 1790 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 1791 रकबा बीघा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 1794 रकबा 1 बीघा कुल किता 11 कुल रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है, उक्त भूमि में वादीयां के पिता रामा का 1/2 हिस्सा निहित था।

3. यह कि उपरोक्त भूमि के साबिक आराजी नम्बर 1592 रकबा 14 बिस्वा, साबिक आराजी नम्बर 1593 रकबा 2 बीघा, साबिक आराजी नम्बर 1594 रकबा 18 बिस्वा, साबिक आराजी नम्बर 1597 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, साबिक आराजी नम्बर 1598 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, साबिक आराजी नम्बर 1600 रकबा 8 बिस्वा, साबिक आराजी नम्बर 1601 रकबा 6 बिस्वा, साबिक आराजी नम्बर 1602 रकबा 16 बिस्वा, साबिक आराजी नम्बर 1603 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, साबिक आराजी नम्बर 1604 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित थी जो कि मूल पुरूष उदा जी डांगी के नाम पर सम्वत् 2010 में दर्ज हैं।

4. यह कि वर्णित भूमि वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 की मौरूसी भूमि है जिसमें वादीयां का जन्म से ही हित एवं अधिकार निहित है। उक्त भूमि अविभाजित भूमि है जो कि वादीयां को उसके पिता को विरासत में मिली है इससे वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 उक्त भूमि में जन्म से ही कोपार्सनर होने से उनका हित एवं अधिकार उत्पन्न हो गया हैं।

5. यह कि वादीयां को हाल ही मे पता चला कि उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी सं. 1 व मृतक भग्गा के नाम पर विक्रय पत्र दिनांक 14.08.1980 के नाम पर खोला गया है जो कि प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य होने से उनको इस भूमि में कोई हित एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उक्त विक्रय पत्र बमुकाबले वादियां एवं प्रतिवादी सं. 3, 4 के अवैध एवं शून्य होने से उनके हितों एवं अधिकार पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता हैं। उक्त विक्रय पत्र वादिया एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के पिता मेगा डांगी को प्रतिवादी सं. 2 द्वारा धोखा देकर प्रतिवादी सं. 1 व मृतक भग्गा के पक्ष में निष्पादित कराया जो प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य हैं। विक्रय पत्र दिनांक 14.08.1980 को मृतक भग्गा की उम्र 6–7 वर्ष व दोला की 2–3 वर्ष थी, उक्त विक्रय पत्र वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के हिस्से की भूमि को हथियाने हेतु उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन कराया गया है जो कि वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 3 के हितों एवं अधिकारों के विरूद्व एबइनिश्योवोइड होने से प्रतिवादी सं. 1 व मृतक भग्गा को उक्त भूमि में कोई हित व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

6. यह कि वादीयां की माता श्रीमती रूकमणीबाई द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण भी दर्ज कराया जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान व जांच कर प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मावली में चालान प्रस्तुत किया किया गया जिसमें प्रतिवादी सं. 2 जमानत पर है तथा उक्त प्रकरण प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध विचाराधीन है जिससे भी यह साबित होता है कि उक्त विक्रय पत्र प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वादीयां के पिता को धोखे से प्रतिवादी सं. 1 व मृतक भग्गा के पक्ष में निष्पादित कराया है जो कि संदेहपूर्ण होकर अवैध एवं शून्य है जिससे प्रतिवादी सं. 1 व मृतक भग्गा को उक्त भूमि में कोई हित एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

7. यह कि मेगा जी का स्वर्गवास हो गया है जिससे वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 का उक्त भूमि में जन्म से हित एवं अधिकार उत्पन्न हो गया हैं। उक्त भूमि मेगा जी को विरासत से मिली है इस कारण उक्त भूमि में मेगा जी अपने हिस्से को रहन, बेह, बक्षीस आदि करने का कोई अधिकार मेगा जी को नहीं था उनके द्वारा अगर कोई रहन, बेह, बक्षीस की भी है तो वह बमुकाबले वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के अवैध एवं शून्य होने से उन्हे कोई हित एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उक्त विक्रय पत्र नल एवं वोईड हैं। उक्त भूमि अविभाजित भूमि है जिसका आज दिनांक तक कोई विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है इसलिए उक्त अविभाजित भूमि में वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 का जन्म से हित एवं अधिकार होने से अपने हिस्से की घोषणा कराये जाने का अधिकारी है। वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 मेगा जी के हिस्से में अपना हिस्सा क्लेम कर रहे है अन्य के हिस्से में वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 का कोई सम्बन्ध नहीं हैं। वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 का नाम खाते में नहीं होने से वादीयां को अपने हित व अधिकार से अपने हिस्से की खातेदार अधिकार की घोषणा कराये जाने से उक्त वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होने से उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 मेगा जी के हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं।

8. उक्त भूमि अविभाजित होने से वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 का हित एवं अधिकार होने से मेगा जी के हिस्सा जो भी प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर गलत दर्ज हो गया है इसलिए मेगा जी के हिस्से को प्रतिवादी सं. 1 से हटाकर वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के नाम पर दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

कराया जावें। वादीयां हाली ही में अपनी भूमि की देखभाल करने हेतु गई तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा धमकी दी गयी कि उक्त भूमि से तुम्हारा कोई लेना–देना नहीं है और न ही उक्त भूमि में तुम्हारा कोई हित एवं अधिकार ही निहित हैं। तुम्हारे पिता की भूमि को प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर करवा दी है। आज के बाद उक्त भूमि पर नहीं आना वरना तुम्हे जान से मार देगें। वादीयां द्वारा उक्त भूमि की नकल प्राप्त करने पर पता चला कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा फर्जी अवैध एवं शून्य दस्तावेज से भूमि अपने नाम पर करवा ली है जिससे उक्त घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया हैं।

9. यह कि वादीयां के पक्ष में एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के हिस्से की भूमि को किसी भी प्रकार से बेह, रहन, बक्षीस आदि नहीं करे न ही वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के उपयोग एवं उपभोग में कोई बाधा व विघ्न उत्पन्न नहीं करे न ही किसी प्रकार का भार ही वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के हिस्से पर उत्पन्न करें। इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की गयी तो वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के हित एवं अधिकार नष्ट हो जायेगें जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना कतई संभव नहीं होगा तथा न्यायालय में विवादों की संख्या में वृद्वि होगी। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

10. यह कि उक्त वाद का वादकारण दिनांक 07.09.2018 को उत्पन्न हुआ जब वादीयां अपने खेतों पर फसल की देखभाल करने गयी तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा धमकी दी गयी कि उक्त भूमि में तुम्हारा कोई हित एवं अधिकार नहीं है तथा वादीयां द्वारा अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम करवाये जाने हेतु प्रतिवादी सं. 1 को निवेदन किया तो उन्होने मना कर दिया तथा धमकी दी कि उक्त भूमि को भूमाफियों एवं गुण्डों को विक्रय कर दी जायेगी जिससे वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के हित समाप्त हो जायेगें यही वादकारण दिनांक 07.09.2018 को उत्पन्न हुआ जो आज दिनांक तक जारी हैं।

11. अतः निवेदन है कि प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावे कि वाद में वर्णित भूमि में वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के नाम पर प्रतिवादी सं. 1 के बजाय खातेदार काश्तकार घोषित फरमायी जावें। उक्त वर्णित भूमि में

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के हिस्से की भूमि को रहन, बैह, बक्शीश आदि [illegible] न ही उन्हे अपने हिस्से के उपयोग–उपभोग में विघ्न एवं बाधा ही उत्पन्न करें।

12. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में साक्ष्य वादीयां प्रारम्भ की गई।

13. वादीयां द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादीयां शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 श्रीमती चुन्नीबाई का पेश किया। वादीयां द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, नामान्तकरण की नकल प्रदर्श 2, विक्रय पत्र प्रदर्श 3, सेटलमेन्ट नकल प्रदर्श 4 व 5, मिलान खसरा 6, 7, 8, जमाबन्दी नकल सम्वत् 2025 से 28 प्रदर्श 9 पेश किये।

14. प्रकरण में अधिवक्ता वादीयां की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीयां द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीयां का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

15. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीयां की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हैं, जो जमाबन्दी प्रदर्श 1 से स्पष्ट हैं। वादीयां के तर्क अनुसार वादग्रस्त भूमि पूर्व में उदा वल्द टीला के नाम पर थी जो दस्तावेज प्रदर्श 5 से स्पष्ट हैं। उक्त भूमि विरासत से उदा के पुत्र मेगा व रामा के नाम पर दर्ज हुई। वादीयां के कथनानुसार प्रतिवादी सं. 2 रामा ने धोखें से मेगा की भूमि को प्रतिवादी सं. 1 दोला व मृतक भगा के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय करवा दी जबकि पैतृक भूमि होने से वादीयां द्वारा घोषणा की दाद चाही गई हैं।

16. वादपत्र एवं दस्तावेजों के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में उदा के नाम दर्ज थी, जो उदा की विरासत के बाद मेगा व रामा के नाम पर दर्ज हुई, मेगा के कोई पुत्र नहीं होने से मेगा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श 3 से उक्त भूमि को प्रतिवादी सं. 1 दोला व भगा को दिनांक 14.08.1980 को विक्रय कर दी हैं।

17. मेगा द्वारा सन् 1980 में भूमि विक्रय कर दी है। उस समय मेगा अकेला हिन्दू कर्ता खानदान था। सन् 1980 में बेटियॉ कोपार्शनर नहीं थी। मेगा के कोई पुत्र भी नहीं था। मेगा के पास अपनी भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण का पूरा अधिकार

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

था, उसी के नाते मेगा ने उक्त भूमि को विक्रय कर दिया हैं। इसलिए वादीयां का कोई हक नहीं बनता हैं।

18. पिता के जीवित रहते हुए पुत्रीयों को वर्ष 2005 के पश्चात् संशोधन के उपरान्त अधिकार प्रदान किये गये है, जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 अनुसार "उक्त सहदायिकी सम्पति के सम्बन्ध में उन्ही दायित्वों के अध्ययीन होगी, जैसे पुत्र का दायित्व हैं और हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक का कोई निदेश सहदायिक की पुत्री के निर्देश को शामिल करने वाना माना जायेगा : परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई चीज सम्पति के किसी विभाजन या वसीयती विन्यास को, जो दिसम्बर, 2004 के 20वें दिन के पूर्व किया गया है, शामिल करके किसी विन्यास या अन्य संक्रमण को प्रभावित नहीं करेगी या अविधिमान्य नहीं बनायेगी।" अतः इससे स्पष्ट है कि मेगा द्वारा वर्ष 1980 में ही उक्त भूमि का विक्रय कर दिया है जो कि धारा 6 के संशोधन अनुसार दिसम्बर 2004 के 20वें दिन से पूर्व किया हुआ स्पष्ट होने से वादग्रस्त भूमि में वादीयां का कोई हक अधिकार नहीं रहता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त भूमि में वादीयां कोई दाद प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं। अतः वादीयां का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Akshay
(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

बईजलास अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती चुन्नीबाई पुत्री मेगा पत्नी हेमा डांगी निवासी सोनलाई (खरवडों का गुडा) हाल आवलिया का कुंआ तह. मावली।

............वादीयां

बनाम्

1. श्री दोला पिता रामा डांगी निवासी निवासी सोनलाई (खरवडों का गुडा) तह. मावली।
2. श्री रामा पिता उदा डांगी निवासी निवासी सोनलाई (खरवडों का गुडा) तह. मावली।
3. श्रीमती दाई बाई पुत्री मेगा पत्नी भूरा डांगी निवासी निवासी सोनलाई (खरवडों का गुडा) हाल मजेरा तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
4. श्रीमती हरकुबाई पुत्री मेगा पत्नी डालु डांगी निवासी निवासी सोनलाई (खरवडों का गुडा) हाल घासा तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 213/18 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:–

वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.01.2020 को जारी की गई।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner